271

संख्या– / 2016–II–03(67)/2015

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक, 20 अक्टूबर, 2016

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य सैक्टर के सर्वेक्षण तथा अनुसंधान मद के अन्तर्गत कोसी नदी के वृहद श्रोत संवर्द्धन कार्य एंव जनपद नैनीताल के विकासखण्ड वेतालघाट में नलकूपों की उपयोगिता एंव जल उपलब्धता के लिये सर्वेक्षण कार्यो की योजनाओं की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 3465/मुअवि/सि0वि/नि0अनु/पी–27 (जलाशय), दिनांक 10.12.2015 एंव पत्र संख्या 2902/मु0अ0वि0/नि0अनु0/पी–27(अन्य योजना)/ दिनांक 2.11.2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोसी नदी के वृहद श्रोत संवर्द्धन कार्य के अन्तर्गत झील निर्माण हेतु कौसानी से सुमाल पुल तक 06 स्थानों एंव जनपद नैनीताल के विकासखण्ड वेतालघाट के ग्राम च्यूनी, पिनकोट, बजेडी/लोक पालडी, तिवारी गॉव एंव जोशीखाला में नलकूपों की उपयोगिता एंव जल उपलब्धता के लिय सर्वेक्षण कराने हेतु गठित योजनाओं के प्राककलनों की विभागीय टीएसी द्वारा संस्तुत लागत कमशः रू0 27.05 लाख एंव रू0 8.22 लाख अर्थात कुल रू0 35.27 लाख (रू0 पैंतीस लाख सत्ताई हजार मात्र) की प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु Uttarakhand Procurement Rules, 2008 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(v) कार्यो के पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2017 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

क्रमशः.....2

(ix) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के कियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

(x) विषयगत आगणन का पुनः किसी भी दशा में पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत सर्वेक्षण एवं अनुसंधान मद के लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य– 005–सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कार्य–03–निर्माण कार्य–00–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश वित्त विभाग के असासकीय संख्या 634/XXVII(2)/2016, दिनांक, 14 अक्टूबा 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
सचिव।

सं0–2708 (1)/2016–।।–03(67)/2015तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अनु–2,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, देहरादून/अल्मोड़ा/नैनीताल
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी कोषाधिकारी देहरादून/अल्मोड़ा/नैनीताल।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
8. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।